भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 708
गुरुवार, 4 दिसंबर, 2025/13 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

जीएसटी दर का युक्तिकरण

708. श्री अनिल फिरोजिया:
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:
श्री चंदन चौहान:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
श्री दिलेश्वर कामैत:
श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:
श्री मनोज तिवारी:
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल:
श्री अमर शरदराव काले:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री मितेश पटेल बकाभाई:
श्रीमती डी. के. अरुणा:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री गणेश सिंह:
श्री सुरेश कुमार कश्यप:
डॉ. संजय जायसवाल:
श्री शंकर लालवानी:
श्री खगेन मुर्मु:
श्री जनार्दन मिश्रा:
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ड्रोन और फ्लाइट/मोशन सिमुलेटर के लिए घोषित जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने का ब्यौरा क्या है और ये परिवर्तन देशभर में विमानन और उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में राज्य-वार व्यापार करने में आसानी को किस प्रकार बढ़ावा देंगे;

(ख) घोषणा के पश्चात् कितने पायलट प्रशिक्षण संगठनों (पीटीओ) और विमानन कौशल केन्द्रों को उक्त उपायों से लाभ हुआ है तथा उक्त उपायों से उन्हें किस प्रकार लाभ हुआ है;

(ग) देशभर में रोजगार सृजन, विनिर्माण और क्षेत्रीय विमानन प्रशिक्षण केंद्रों के संवर्धन पर कम जीएसटी दरों और छूट के प्रभाव के बारे में सरकार का राज्य-वार आकलन क्या है;

(घ) राष्ट्रीय ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र और प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए इन सुधारों की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार का राजस्थान के सिरोही जिले में एक पीटीओ और झारखंड के जमशेदपुर जिला तथा दाहोद लोक सभा क्षेत्र में एक ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): दिनांक 03.09.2025 को आयोजित अपनी 56वीं बैठक में जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, सीटीएच 8806 (ड्रोन) के तहत मानवरहित विमान पर अब एकसमान 5% माल एवं सेवा कर लगता है। इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय या रक्षा बलों अथवा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों अथवा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों या रक्षा बलों के लिए किसी अन्य इकाई द्वारा आयात किए जाने पर फ्लाइट मोशन सिमुलेटर और इसके पुर्जों के लिए बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) और आईजीएसटी के भुगतान से छूट को अधिसूचना संख्या 37/2025-सीयूएस, दिनांक 17.09.2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

ये उपाय, वर्गीकरण विवादों (ड्रोन के लिए पूर्व में लगने वाली 5%/18%/28% की कई जीएसटी दरों के स्थान पर 5% की एकसमान दर), को हटाने के माध्यम से अनुपालन को सरल बनाकर और वहनीयता और अभिग्रहण को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन की अंतिम लागत को कम करते हुए व्यापार करने में आसानी को प्रोत्साहित करते हैं।

ऐसे सुधारों का प्रभाव मूल्यांकन तात्कालिक समय में मापने योग्य नहीं हो सकता है। तथापि लंबे समय में, इन सुधारों से ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र में विनिर्माण, रोजगार और प्रशिक्षण को समग्र रूप से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जीएसटी दर में बदलाव ड्रोन का उपयोग करने वाले सभी क्षेत्रों पर देशभर में समान रूप से लागू होगा।

(ङ): फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, इच्छुक आवेदक ड्रोन नियम, 2021 के नियम 34 और 2022 के ड्रोन प्रशिक्षण परिपत्र 01 दिनांक 15.02.2022 के तहत प्राधिकरण के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को आवेदन कर सकते हैं।

*****